उड़ानों पर सीट चयन शुल्क

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था, शासन और आईआर) से संबंधित है।

द हिन्दू

15 मार्च, 2022

हाउस पैनल का कहना है कि उड़ानों पर सीट चयन शुल्क 'मनमाना'

एक संसदीय पैनल ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि एयरलाइंस यात्रियों से एक विमान में सीट चयन के लिए शुल्क लेना "मनमाना और अनुचित" है और सरकार को किराया मूल्य निर्धारण पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

देश में विभिन्न एयरलाइंस यात्रियों को उड़ान से पहले विमान में अपनी सीटों का चयन करने का विकल्प प्रदान करती हैं। सीट के स्थान के आधार पर इसकी कीमत ₹150 और ₹1,000 के बीच कहीं भी हो सकती है। हवाई अड्डे पर चेक-इन के समय अतिरिक्त भुगतान करने में दिलचस्पी नहीं रखने वाले यात्री उन्हें सीट सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं।

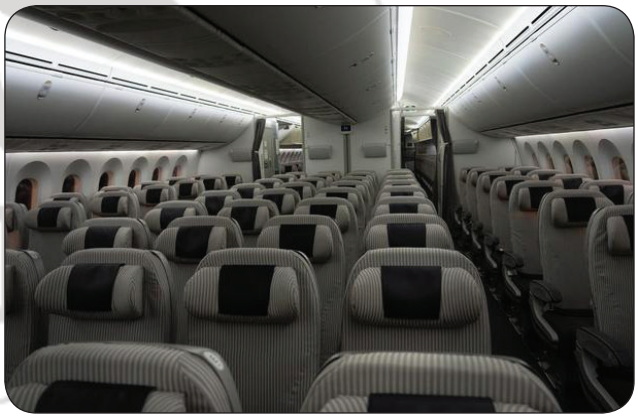

"समिति का यह भी मत है कि एक ही उड़ान में सीटों के चयन के लिए अलग-अलग किराए तय करना मनमाना और अनुचित है। इसलिए, इक्विटी के सिद्धांत पर समिति को लगता है कि एक ही उड़ान में सभी सीटों का किराया समान होना चाहिए," विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा।

इसने इस मुद्दे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया कि हवाई यात्रा "एयरलाइन और यात्री के बीच एक संविदात्मक मामला था, जो कि वाणिज्यिक प्रकृति का है" क्योंकि यह "बिल्कुल उचित नहीं था।"

"समिति की राय है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र को एक खुले बाज़ार में विकसित करने के लिए, यह उचित है कि निजी एयरलाइन ऑपरेटरों को हवाई किराए को तय करने के लिए स्वतंत्र हाथ दिया जाना चाहिए क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा द्वारा शासित होते हैं। हालांकि, समिति मंत्रालय का ध्यान विमान नियम, 1937 के प्रावधान की ओर आकर्षित करना चाहती है, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि किराया उचित होना चाहिए और उचित लाभ बनाए रखना चाहिए।

भारत में एयरलाइंस को हवाई किराए को "अनबंडल" करने की अनुमति है, जो उन्हें अपने कुल किराए को सेवा घटकों में विभाजित करने और उनके लिए अलग से शुल्क लेने की अनुमति देता है।

पैनल ने सिफारिश की कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करे कि विभिन्न एयरलाइनों द्वारा संचालित एक ही मार्ग पर उड़ानों का हवाई किराया समान होना चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. भारतीय संविधान दो प्रकार की संसदीय समितियों, स्थायी समिति और तदर्थ समिति का प्रावधान करता है।
2. इन समितियों से संबंधित किसी भी मामले को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत निपटाया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) कोई नहीं

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements regarding parliamentary committees-

1. Indian constitution provide two types of parliamentary committees, standing committee and Ad-Hoc committee.
2. Any matters related to these committees are dealt with Article 118(1) of the Indian constitution.

which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) None

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारतीय विमानन क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करें और संभावित समाधानों का उल्लेख करें। (250 शब्द)

Q. Discuss the various challenges faced by the Indian Aviation sector and mention the probable solutions. (250 Words)

world
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।